

लोकअदालत

सत्र-2019

मदस्त सं०-

आदेश फलक :-

विधि सं०

613 / 2017

दो प्र० सं० 107

बशीगा वीवी बनाम साहिब अकतर +2

वाद लखित अन्तर्गत न्यायालय

अकबरवाड़ा थाना सयद मेदिनीनगर


कार्य की तिथि


आदेश एवं न्यायालय का हस्ताक्षर

अभियुक्ति

23-2-19

उभय पक्ष अनुपस्थित । अभिलेख का अवलोकन किया ।  
विविध वाद में नोटिस देने के बावजूद भी दोनों पक्ष  
उपस्थित नहीं हुए हैं । इससे प्रतीत होता है कि दोनों  
पक्षों को इस वाद में कोई अभिरुची नहीं है और न  
शान्ति भंग होने की कोई संभावना प्रतीत होता है । अतः  
अभिरुची के अभाव में इस वाद की अग्रतर कार्रवाई लोक  
अदालत के माध्यम से समाप्त की जाती है ।

  
23.02.2019  
सदस्य

  
सदस्य